



कार्यालय आदेश

भारत का राजपत्र दिनांक 07 जून, 2012/ज्येष्ठ 17,1934 एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (शिकायत निवारण के लिए तंत्र की स्थापना) Grievance Redressal Committee की अधिसूचना दिनांक 25.05.2012 के निर्देशानुसार महाविद्यालय के विद्यार्थियों से सम्बन्धित शिकायत निवारण के लिए एक समिति का गठन किया जाना है। अतः अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के निर्देशानुसार महाविद्यालय द्वारा गठित समिति के सदस्य निम्नानुसार है।

01. प्रोक्टर
02. प्रभारी अकादमिक
03. प्रभारी वित्त विभाग

  
प्राचार्य

प्रतिलिपि :-

01. कुलसचिव कार्यालय
02. निजी सहायक, प्राचार्य
03. संबंधित विभागाध्यक्ष सूचनार्थ एवं पालनार्थ
04. समस्त नोटिस बोर्ड
05. वेबमास्टर वेबसाइट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।
06. रक्षक पत्रावली

  
प्राचार्य